



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरल कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)
CIN: U74899DL1963G-OI003913
केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm



10 किमी० सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

पत्रांक: मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

के.रा.फा./हिसार/6-16/कृषि/2022-23

दिनांक 03-2-2023

निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म, 10 किलोमीटर सिरसा रोड हिसार मे 2022-23 बोई गई सरसों, मसूर, मटर, व खेसारी आदि फसलों को काटकर इकट्ठा करने कम्बाईन में झुकाई श्रेषिंग आदि करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी है जिसके लिए दो बीड (टेक्निकल व वित्तीय) अलग-2 लिफाफे में निविदाएं दिनांक 23.02.2023 को अपरान्ह 3.0 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा में भाग लेने के लिये धरोहर राशि के रूप में 20,000/-का डी0डी0 राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार के नाम बनवाकर जमा करवाने होंगे। प्राप्त निविदाएं उसी दिन निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी। धरोहर राशि के बिना कोई भी निविदा या बोली मान्य नहीं होगी। फार्म को पूर्ण अधिकार होगा की बिना किसी कारण बताए निविदा रद्द की जा सकती है। अगर किसी कारणवश निविदा उक्त दिनांक को नहीं हो पाती है। यदि उपरोक्त तिथि को निविदाएं असफल रही तो दोबारा दिनांक 3.03.2023 व 13.03.2023 को निविदाएं ली जायेगी। लाटों की संख्या व अन्य शर्तें हमारी website www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है इस निविदा के सम्बंध मे कोई भी बदलाव की जानकारी केवल वेबसाइट पर ही अपडेट की जाएगी।

Account Details:

A/c holder Name : National Seeds Corporation Limited
Bank Name : State Bank of India
Branch Name : New Grain Market Hisar
A/c No. : 33957537351,
IFSC Code : SBIN0005700

सहायक प्रबंधक (उत्पादन)
कृते फार्म प्रमुख

National Seeds Corporation Limited

Central State Farm Hisar

Technical Bid (To be Submitted in a Sealed Envelope)

Farm Head

National Seeds Corporation Limited

Central State Farm Hisar

Sir,

I/We _____(Specify the status of the tenderers)
having read the tender documents and the various terms and conditions of contract attached herewith, hereby agree to abide by the terms and conditions of the tender.

- 1. Name of Tenderer: _____
- 2. Permanent Address: _____
- 3. Telephone No. _____ Mobile No. _____
- 4. ID No. (Voter ID/Aadhar Card, etc.) _____(Copy may be enclosed)
- 5. Copy of bank details/passbook may be enclosed.

Date:

Signature of the tenderer

(Name _____)

Mobile No:-



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरल कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Ministry of Agriculture)

CIN: U74599DL1963G-OI003913

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी0 सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पुसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12



पत्रांक: के.रा.फा./हिसार/6-16/कृषि/2022-23

दिनांक 03-2-2023

वित्तीय बिड (Financial Bid)

सेवा में,

फार्म प्रमुख,

केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार।

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि मैं आपके फार्म पर रबी-2022-23 के दौरान बोई गई फसलों को काटकर इकट्ठा करना, फार्म कम्बाईन में झुकाई करना व ठेकेदार के श्रेणर से श्रेणिंग करने आदि का ठेका लेना चाहता हूँ और लोट वार दरें नीचे दी गई हैं। मुझे फार्म की सभी शर्तें मन्जूर हैं तथा मैंने शर्तों पर हस्ताक्षर भी कर दिये हैं। धरोहर राशी के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट न0.....दिनांक.....रुपये का संलग्न है।

लाट न	ब्लॉक	चक	फसल	क्षेत्रफलएकड़ में	दर प्रति एकड़
1	1	2000 RD	सरसों व साग सरसों	90	
2	1	68025 RD	सरसों	97.5	
3	1	9000 RD	सरसों	88	
4	1	72000 RD	सरसों	95	
5	2	78/80000RD	सरसों	111	
6	2	75000RD	सरसों	75	
7	2	17000RD	सरसों	179	
8	2	13000RD	सरसों	157.5	
9	2	21000RD	सरसों व साग सरसों	114	
10	3	23000 RD	सरसों	98	
11	3	38000 RD	सरसों व साग सरसों	166.5	
12	3	38/टेल/नर्सरी	सरसों	82	
13	3	86000आर	सरसों व साग सरसों	180	
14	3	86000एल	सरसों	74	
15	3	ढंदूर	सरसों	168.5	
16	1	2000 RD & 9000 RD	मटर सब्जी	44	
17	1	68025 RD	मटर सब्जी	39.25	
18	2	13000RD & 78/80000RD	मटर सब्जी	13.5	
19	3	38000 RD	मटर सब्जी	10	
20	1	9000 RD & 72000 RD	मसूर	15.25	
	1	68025 RD	खेसारी	2	
	2	78/80000RD & 75000RD	मसूर	10	

ठेकेदार के हस्ताक्षर

(नाम

पूर्ण पता

फोन न0

खाता न0.....

पैन न0.....

IFSC Code No.

फार्म पर रबी 2022-23 के दौरान बोई गई फसलों को काटकर इकट्ठा करना, फार्म कम्बाईन में झुकाई करना व ठेकेदार के थ्रैपर से थ्रैपिंग आदि कार्यों के लिये नियम व शर्तें---

दिनांक : 03.02.2023

प्रत्येक निविदादाता को निविदा में भाग लेने के लिए रुपये 20,000/- का डी. डी जमा करना होगा। चार लॉट तक ठेकेदार के 20000/- (5000/- प्रति लॉट की दर से) की धरोहर राशि को प्रीतिभूत राशि में समायोजित कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उसे 5000/- प्रति लॉट के तीन दिन के भीतर NEFT or RTGS के माध्यम से जमा कराने होंगे। धरोहर राशि का डी.डी. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के नाम बनवाकर फार्म के खजांची के पास जमा करवाने होंगे जो की असफल निविदादाता को चैक के रूप में लौटा दिए जायेंगे । कार्य का क्षेत्र घटाया या बढ़ाया जा सकता है ।

1. प्रक्षेत्र का अंकित फासलिया क्षेत्रफल अंतिम रूप से सही माना जायेगा। यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह बोली देने से पूर्व अपनी शंका का समाधान करा सकता है । निविदा के बाद किसी का कोई तर्क मान्य नहीं होगा।
2. मजदूरों का प्रबन्ध ठेकेदार को करना होगा व उन्हें कार्य स्थल पर लाने व ले जाने की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी ।
3. प्रक्षेत्र में निविदादाता या उसके आदमियों द्वारा कोई गलत कार्य या चोरी आदि किए जाने पर ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिक ठेकेदार के दायित्व पर कार्य करेंगे व उनके हर प्रकार के लाभ हानि की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी ।
5. समय पर कार्य पूरा न करने पर फार्म को जो हानि होगी उसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी । उस स्थिति में ठेका किसी अन्य को देकर या फार्म के मजदूरों से कार्य करवा लिया जाएगा तथा इस मद में फार्म का जो अतिरिक्त खर्चा होगा उसका भुगतान ठेकेदार को करना होगा ।
6. यदि ठेकेदार कार्य करने में असफल हो जाता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा थोड़े बहुत किये गये कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. फसल की कटाई खण्ड प्रभारी/चक प्रभारी के आदेशानुसार तुरन्त शुरू करना होगा व शीघ्र अति शीघ्र पूरा करना होगा। यदि कटाई व गहाई विलम्ब होने से फार्म को नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी ।
8. ठेकेदार द्वारा काटी गई फसल को बड़े बड़े ढेर प्रति एकड़ में 4-5 जगह पर इकट्ठा करना होगा तथा खलिहान की सफाई थ्रैपिंग के समय साथ ही साथ करनी होगी ।
9. सरसों की कटाई जमीन से एक फुट उपर से करनी होगी जिससे गहाई के समय भूसे के साथ साथ फसल का दाना बाहर भूसे में न जा सके । ठेकेदार को सरसों का सारा पैसा बैंक **SBI A/c No. 33957537351** में जमा कराना होगा तभी तूड़ा उठाने दिया जायेगा ।
10. ठेकेदार द्वारा लगाए गए मजदूरों के वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी । प्रत्येक ठेकेदार को प्रत्येक बिल पर प्रमाणित करना होगाकि उसके द्वारा लगाए गये मजदूरों का भुगतान कर दिया गया है । फार्म इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
11. श्रम अधिनियम के सभी उपबन्धों की पालना करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। किसी अधिनियम का उल्लंघन की सूरत में फार्म जिम्मेदार नहीं होगा।
12. भविष्य निधि अधिनियम और ई0एस0आई0 के उपबन्धों के पालन करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । यदि वह उसका पालन नहीं करता है तो वह स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होगा ।
13. ठेकेदार के लिए अनिवार्य है कि वह फार्म पर लगाये गये मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान करेगा ।
14. ठेकेदार कोई भी अवांछनीय मजदूर नहीं लगायेगा व कार्य फार्म के निर्देशानुसार ही करेगा ।
15. फार्म पर खड़ी फसल को ठेकेदार या उसके आदमियों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाने पर निदेशक महोदय द्वारा गठित कमेटी नुकसान का जायजा लेगी तथा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार फार्म को जो हानि होगी उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी
16. श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान उनके खाते में करना होगा ।
17. ठेकेदार को भुगतान उसके बैंक खाते में किया जायेगा इसके लिये ठेकेदार को स्थाई खाता संख्या, IFSC कोड न0, पेन न0 देना अनिवार्य होगा । आयकर अधिनियम के अनुसार कर टैक्स की कटौती बिल में से की जाएगी ।
18. आवश्यकतानुसार फार्म प्रबंधन द्वारा कार्य का क्षेत्र कम या ज्यादा किया जा सकता है ।

19. ठेकेदार अपना कार्य 8.00 से 5.00 बजे के बीच ही करना सुनिश्चित करेगा।
20. प्रत्येक ठेकेदार को 10 रूपये का स्टाम्प पेपर लाना होगा और कार्य शुरू करने से पहले उस पर समझौता करना होगा। इसका व्यय स्वयं ठेकेदार को करना होगा।

आरबीट्रेशन सम्बंध में राष्ट्रीय बीज निगम, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार तथा ठेकेदार के बीच किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विमर्श से सुलझाने का प्रयास करेंगे। दोनों पक्षों में आपसी विवाद नहीं सुलझाने की स्थिति में दोनों पक्ष मामले का समाधान / निपटारा Arbitration & Conciliation Act 1996 की प्रावधान के अनुसार करने पर बाध्य होंगे। इसी अधिनियम में दिये गये प्रावधान के अनुसार एकल विवाचक (Arbitration) की नियुक्ति अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक सीएमडी, राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा दोनों पक्ष की सहमति से की जाएगी जो की दोनों पक्ष को मान्य होगा। विवाचक का फैसला अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। किसी भी विवाद में पक्षकारों के लिये यह आवश्यक होगा कि न्यायालय की शरण लेने से पहले विवाचक (Arbitration) के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कराये। विवाचक (Arbitration) की भाषा अंग्रेजी (English) होगी व स्थान दिल्ली होगा तथा न्यायालय क्षेत्राधिकारी के उद्देश्य से केवल दिल्ली स्थित न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही पक्षकारों पर लागू होगा।

(अक्षत यादव)
सहायक प्रबन्धक उत्पादन
कृते फार्म प्रमुख

मैंने उपरोक्त ठेके की सभी नियम व शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं ठेका आंबटित होने की स्थिति में उक्त कथित नियम व शर्तों की अनुपालना करने को तैयार हूँ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

कृते फार्म प्रमुख